

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2014/कार्तिक 22, 1936

No. 587]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2014/KARTIKA 22, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 5 सितंबर, 2014

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (13वां संशोधन)
विनियमावली, 2014**

सा.का.नि. 799(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (13वां संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(ii) इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे 26 अगस्त 2014 से लागू हुए हैं।@

2. विनियम 14 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, विनियम 14 में, उप-विनियम (3) में, खंड (डी) में, "सूचना और प्रसारण तथा रक्षा क्षेत्र" शब्द "सूचना और प्रसारण" शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. अनुसूची 1 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में, मौजूदा संलग्नक 'बी' में, वर्तमान प्रविष्टि सं. 6, 6.1 एवं 6.2 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाएंगी:

क्र. सं.	क्षेत्र/गतिविधि	ईक्विटी/एफडीआई कैप का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	रक्षा		
6.1	रक्षा उद्योग, उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है।	49%	सरकारी मार्ग से 49% तक 49% से अधिक, मामले – दर- मामले के आधार पर सिक्युरिटी संबंधी कैबिनेट कमीटी के अनुमोदन से, जहां कहीं उसके परिणाम स्वरूप देश की पहुंच आधुनिक एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी तक होती हो।
	नोट: (i) उल्लिखित 49% की सीमा संमिश्र सीमा है और उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी संस्थागत निवेशक (FII), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs), अनिवासी भारतीयों (NRIs), विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों (FVCI) और अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) के निवेशों जैसे सभी प्रकार के विदेशी निवेश शामिल हैं, भले ही ये निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली की अनुसूची 1 (FDI), 2 (FII), 2ए (FPI), 3 (NRI), 6 (FVCI) तथा 8 (QFI) के अंतर्गत किए गए हों। (ii) एफपीआई/एफआईआई/एनआरआई/क्यूएफआई द्वारा किए गए पोर्टफोलियो निवेशों एवं एफवीसीआई द्वारा किए गए निवेशों को मिलाकर कुल निवेश निवेश प्राप्तकर्ता/संयुक्त उद्यम(JV) कंपनी की कुल ईक्विटी के 24% से अधिक नहीं होंगे। पोर्टफोलियो निवेश स्वचालित मार्ग के अंतर्गत होंगे।		
6.2	अन्य शर्तें:		
	(i) लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे। (ii) 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सरकार से अनुमति चाहने वाली कंपनी भारतीय कंपनी हो जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के हाथों में होना चाहिए। (iii) आवेदक कंपनी का प्रबंधन भारतीय हाथों में होने के साथ-साथ कंपनी/भागीदारी फर्म के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व (उन्हीं का हो) एवं उसका मुख्य कार्यकारी भारतीय निवासी होना चाहिए। (iv) निवेश प्राप्तकर्ता/संयुक्त उद्यम कंपनी का मुख्य सुरक्षा अधिकारी (CSO) निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए। (v) आवेदन पत्रों के साथ निदेशकों और मुख्य कार्यपालकों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए। (vi) सरकार के पास विदेशी सहयोगियों और घरेलू प्रमोटरों की वित्तीय स्थिति और विश्व बाजार में उनकी विश्वसनीयता सहित उनके पूर्ववृत्त की जांच करने का अधिकार सुरक्षित होगा। मौलिक उपकरण निर्माताओं या डिजाइन अधिष्ठानों और ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका सशस्त्र बलों, अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों (sections) को पूर्व में आपूर्ति करने का ट्रैक रिकार्ड अच्छा हो और जिनके पास सुस्थापित अनुसंधान एवं विकास केंद्र हो। (vii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कोई न्यूनतम पूंजीकरण नहीं होगा। तथापि, आवेदक कंपनी के प्रबंधन द्वारा उत्पाद और प्रौद्योगिकी के आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। लाइसेंसी प्राधिकारी निर्माण हेतु प्रस्तावित हथियारों और उपकरणों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अनिवासी निवेशक की निवल मालियत की पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा। (viii) रक्षा मंत्रालय निर्मित होने वाले उत्पादों की खरीद की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। तथापि, जहां तक संभव हो, ऐसे उपकरणों के लिए योजनाबद्ध अर्जन कार्यक्रम और समग्र अपेक्षाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।		

(ix)	लाइसेंस में आवेदन और साथ ही रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर उत्पादन के लिए क्षमता मानदंड उपलब्ध कराए जाएंगे जो इसी प्रकार के और संबद्ध उत्पादों की वर्तमान क्षमताओं पर विचार करेगा।
(x)	निवेश प्राप्तकर्ता/संयुक्त उद्यम(JV) कंपनी इस प्रकार की संरचना वाली होनी चाहिए कि वह प्रोडक्ट डिज़ाइन एवं विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। निवेश प्राप्तकर्ता/संयुक्त उद्यम(JV) कंपनी में भारत में निर्मित किए जाने वाले उत्पादों के लिए निर्माण सुविधा होने के साथ-साथ उत्पाद हेतु मेट्रीनेंस एवं लाइफ साइकिल सपोर्ट सुविधा भी होनी चाहिए।
(xi)	आवेदक कंपनी को प्रोटोटाइप के विकास सहित उत्पादन पूर्व गतिविधि हेतु उपकरण आयात करने की अनुमति दी जाएगी।
(xii)	एक बार लाइसेंस मंजूर होने और उत्पादन शुरू होने पर, लाइसेंसी द्वारा पर्याप्त संरक्षा और सुरक्षा प्रक्रिया अपनानी होगी। यह व्यवस्था अधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्यापन के अधीन होगी।
(xiii)	लाइसेंसी लाइसेंस के तहत विदेशी सहयोगियों से या स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के जरिए उत्पादित किए जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता और परीक्षण क्रियाविधि, उपयुक्त गोपनीयता खंड के तहत, सरकार द्वारा नामित गुणवत्ता जांच एजेंसी को उपलब्ध कराएगा। नामित की गई गुणवत्ता जांच एजेंसी तैयार माल की जांच करेगी और लाइसेंसी के गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया की निगरानी तथा लेखा-परीक्षा करेगी। रक्षा मंत्रालय मामले-दर-मामले के आधार पर स्व-प्रमाणन की अनुमति देगा जिसमें लाइसेंसी द्वारा निर्मित या तो अलग-अलग वस्तुएं होंगी या वस्तुओं के समूह होंगे। ऐसी अनुमति नियत अवधि के लिए होगी और यह नवीकरण के अधीन होगी।
(xiv)	सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार खरीद की तरजीह और मूल्य की तरजीह सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को दी जा सकती है।
(xv)	निजी निर्माताओं द्वारा निर्मित हथियार एवं गोलाबारूद मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय को बेचे जाएंगे। ये वस्तुएं रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन अन्य सरकारी संस्थाओं को भी बेचे जा सकते हैं। देश के भीतर ऐसी कोई भी वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं बेची जाएगी। निर्मित वस्तुओं का निर्यात आयुध कारखाने और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के लिए लागू नीति और दिशानिर्देश के अधीन होगा। रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से केंद्र सरकार या राज्य सरकार से इतर व्यक्तियों/संस्थाओं को गैर-प्राणघातक वस्तुओं की विक्री करने की अनुमति दी जाएगी। लाइसेंसी से यह भी अपेक्षित होगा कि वह अपने कारखाने से सभी माल को हटाने के लिए एक सत्यापनीय प्रणाली तैयार करे। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
(xvi)	रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रयोजन से सरकारी मंजूरी चाहने वाले आवेदन पत्र आर्थिक कार्य विभाग में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के सचिवालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।
(xvii)	49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी आवेदन पत्रों के संबंध में मौजूदा प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, 1200 करोड़ रुपए से अधिक के आवक वाले प्रस्तावों पर आर्थिक कार्य विभाग की कैबिनेट कमीटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
(xviii)	रक्षा मंत्रालय एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार की अनुमति चाहने वाले मामलों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी का अनुमोदन मांगा जाएगा जिसके परिणामस्वरूप देश की पहुंच आधुनिक तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी तक हो सकती है।
(xix)	49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव, जिसमें प्रस्तावित आवक प्रवाह 1200 करोड़ रुपए से अधिक हो, को जहां मंजूरी सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी द्वारा दी जाएगी वहां ऐसे मामले में आर्थिक कार्य विभाग की कैबिनेट कमीटी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
(xx)	रक्षा उद्योग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आवेदन पत्र पर सरकार का निर्णय सामान्यतः पावती की तारीख से 10 सप्ताह की समय सीमा के भीतर संप्रेषित कर दिया जाएगा।
(xxi)	49% से अधिक विदेशी निवेश के संबंध में सरकारी अनुमोदन चाहने वाले प्रस्ताव के लिए आवेदक भारतीय कंपनी/विदेशी निवेशक हो। उक्त पैरा (iii) में दी गई अतिरिक्त शर्त ऐसे प्रस्तावों पर लागू नहीं होगी।

[सं. फेमा. 319/2014-आर.बी./फा. सं. 1/32/(-)422014]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:-

- (i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वप्रभावी करने के कारण किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा ।
- (ii) मूल विनियमावली 2000 मई 8 के जीएसआर संख्या (ई)406 के द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी थी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
 सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
 सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
 सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
 सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
 सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010
 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012

सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
 सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
 सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
 सा.का.नि. सं. 371 दिनांक 30.5.2014
 सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
 सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
 सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.20

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 5th September, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Thirteenth Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 799(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000), namely:-

1. Short Title & Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Thirteenth Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force from August 26, 2014@ .

2. Amendment of Regulation 14.—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in regulation 14, in sub-regulation (3), in clause (iv), in para (D), the words, “and Defence sectors” shall be deleted.

3. Amendment of Schedule 1.—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in the existing Annex B, the existing entry 6, 6.1 and 6.2 shall be substituted by the following:

SI. No.	Sector/Activity	% of Equity/FDI Cap	Entry Route
6	Defence		
6.1	Defence Industry subject to Industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951	49%	Government route up to 49% Above 49% to Cabinet Committee on Security (CCS) on case to case basis, wherever it is likely to result in access to modern and 'state-of-art' technology in the country.
	Note: (i) The above limit of 49% is composite and includes all kinds of foreign investments i.e. Foreign Direct Investment (FDI), Foreign Institutional Investors (FIIs), Foreign Portfolio Investors (FPIs), Non Resident Indians (NRIs), Foreign Venture Capital Investors (FVCI) and Qualified Foreign Investors (QFIs) regardless of whether the said investments have been made under Schedule 1 (FDI), 2 (FII), 2A (FPI), 3 (NRI), 6 (FVCI) and 8 (QFI) of FEMA (Transfer or Issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations. (ii) Portfolio investment by FPIs/FIIs/NRIs/QFIs and investments by FVCIs together will not exceed 24% of the total equity of the investee/joint venture company. Portfolio investments will be under automatic route.		
6.2	Other Conditions		
	(i) Licence applications will be considered and licences given by the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, in consultation with Ministry of Defence and Ministry of External Affairs. (ii) The applicant company seeking permission of the Government for FDI up to 49% should be an Indian company owned and controlled by resident Indian citizens. (iii) The management of the applicant company should be in Indian hands with majority representation on the Board as well as the Chief Executives of the company/partnership firm being resident Indians. (iv) Chief Security Officer (CSO) of the investee/ joint venture company should be resident Indian citizen. (v) Full particulars of the Directors and the Chief Executives should be furnished along with the applications. (vi) The Government reserves the right to verify the antecedents of the foreign collaborators and domestic promoters including their financial standing and credentials in the world market. Preference would be given to original equipment manufacturers or design establishments and companies having a good track record of past supplies to Armed Forces, Space and Atomic energy sections and having an established R & D base. (vii) There would be no minimum capitalization for the FDI. A proper assessment, however, needs to be done by the management of the applicant company depending upon the product and		

	the technology. The licensing authority would satisfy itself about the adequacy of the net worth of the non-resident investor taking into account the category of weapons and equipment that are proposed to be manufactured. (viii) The Ministry of Defence is not in a position to give purchase guarantee for products to be manufactured. However, the planned acquisition programme for such equipment and overall requirements would be made available to the extent possible. (ix) The capacity norms for production will be provided in the licence based on the application as well as the recommendations of the Ministry of Defence, which will look into existing capacities of similar and allied products. (x) Investee/joint venture company should be structured to be self-sufficient in areas of product design and development. The investee/joint venture company along with manufacturing facility, should also have maintenance and life cycle support facility of the product being manufactured in India. (xi) Import of equipment for pre-production activity including development of prototype by the applicant company would be permitted. (xii) Adequate safety and security procedures would need to be put in place by the licensee once the licence is granted and production commences. These would be subject to verification by authorized Government agencies. (xiii) The standards and testing procedures for equipment to be produced under licence from foreign collaborators or from indigenous R & D will have to be provided by the licensee to the Government nominated quality assurance agency under appropriate confidentiality clause. The nominated quality assurance agency would inspect the finished product and would conduct surveillance and audit of the Quality Assurance Procedures of the licensee. Self-certification would be permitted by the Ministry of Defence on case to case basis, which may involve either individual items, or group of items manufactured by the licensee. Such permission would be for a fixed period and subject to renewals. (xiv) Purchase preference and price preference may be given to the Public Sector organizations as per guidelines of the Department of Public Enterprises. (xv) Arms and ammunition produced by the private manufacturers will be primarily sold to the Ministry of Defence. These items may also be sold to other Government entities under the control of the Ministry of Home Affairs and State Governments with the prior approval of the Ministry of Defence. No such item should be sold within the country to any other person or entity. The export of manufactured items would be subject to policy and guidelines as applicable to Ordnance Factories and Defence Public Sector Undertakings. Non-lethal items would be permitted for sale to persons/entities other than the Central or State Governments with the prior approval of the Ministry of Defence. Licensee would also need to institute a verifiable system of removal of all goods out of their factories. Violation of these provisions may lead to cancellation of the licence. (xvi) All applications seeking permission of the Government for FDI in defence would be made to the Secretariat of Foreign Investment Promotion Board (FIPB) in the Department of Economic Affairs. (xvii) Applications for FDI up to 49% will follow the existing procedure with proposals involving inflows in excess of Rs. 1200 crore being approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA). (xviii) Based on the recommendation of the Ministry of Defence and FIPB, approval of the Cabinet Committee on Security (CCS) will be sought by the Ministry of Defence in respect of cases seeking permission of the Government for FDI beyond 49% which are likely to result in access to modern and 'state-of-art' technology in the country.
	(xix) Proposals for FDI beyond 49% with proposed inflow in excess of Rs. 1200 crores, which are to be approved by CCS will not require further approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA). (xx) Government decision on applications for FDI in defence industry sector will be normally communicated within a time frame of 10 weeks from the date of acknowledgement. (xxi) For the proposal seeking Government approval for foreign investment beyond 49% applicant should be Indian company/foreign investor. Further condition at para (iii) above will not apply on such proposals.

[No. FEMA/319/2014-RB/F. No. 1/32/E4/2014]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:—

- (i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.
- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-
- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 | G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012 |
| G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001 | G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012 |
| G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001 | G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012 |
| G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002 | G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012 |
| G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002 | G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012 |
| G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003 | G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012 |
| G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003 | G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013 |
| G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003 | G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013 |
| G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003 | G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013 |
| G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003 | G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013 |
| G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004 | G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013 |
| G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004 | G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013 |
| G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004 | G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013 |
| G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004 | G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013 |
| G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004 | G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013 |
| G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005 | G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013 |
| G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005 | G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013 |
| G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005 | G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013 |
| G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005 | G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013 |
| G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005 | G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013 |
| G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005 | G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013 |
| G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006 | G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014 |
| G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006 | G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014 |
| G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007 | G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014 |
| G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007 | G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014 |
| G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007 | G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014 |
| G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008 | G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014 |
| G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008 | G.S.R.No.400(E) dated 12.06.2014 |
| G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009 | G.S.R.No. 435(E) dated 08.07.2014 |
| G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010 | G.S.R.No. 436(E) dated 08.07.2014 |
| G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012 | |

अधिसूचना

मुंबई, 5 सितंबर, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (13वां संशोधन)**विनियमावली, 2014**

सा.का.नि. 800(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौदहवां संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(ii) वे 27 अगस्त 2014 से लागू होंगे@।

2. अनुसूची 1 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 में,

(A) वर्तमान संलग्नक 'A' निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्

"संलग्नक A"

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित (निषिद्ध) क्षेत्र

निम्नलिखित में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित (निषिद्ध) है:

- ए. सरकारी / निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, आदि सहित लॉटरी कारोबार।
- बी. कैसिनो सहित जुआ और सट्टेबाजी।
- सी. चिटफंड
- डी. निधि कंपनी
- ई. अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकारों (टीडीआर) के व्यापार
- एफ. स्थावर (रियल) संपदा कारोबार अथवा फॉर्म हाउसों का निर्माण
- जी. तंबाकू अथवा तंबाकू जैसे पदार्थ के सिगार, चिरूट, सिगरोल तथा सिगरेट का निर्माण
- एच. निजी क्षेत्रगत निवेश के लिए न खोले गए कार्यकलाप/क्षेत्र अर्थात् (I) परमाणु ऊर्जा और (II) रेलवे परिचालन (संलग्नक B की प्रविष्टि 18 में अनुमत गतिविधियों से भिन्न)।

टिप्पणी: फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, प्रबंध संविदा के लिए लाइसेंसिंग सहित किसी भी रूप में विदेशी प्रौद्योगिकी का सहयोग लॉटरी कारोबार तथा जुआ और सट्टेबाजी कार्यकलापों के लिए भी निषिद्ध है।

(B) संलग्नक 'B' में संशोधन

(a) वर्तमान प्रविष्टि 12.1 में, खंड (ii) एवं (iii) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(ii) "बुनियादी संरचना" का तात्पर्य ऐसी सुविधाओं से है जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के कार्य-संचालन के लिए अपेक्षित हैं और जिनमें सड़कें (पहुंचने के मार्ग सहित), विद्युतीकृत रेलवे लाइन तथा मेन रेलवे लाइन को जोड़ने वाली लाइनों सहित रेलवे लाइनें/साइडिंग, जल आपूर्ति और अप-जल निकासी, अपगामी जल उपचार की सार्वजनिक सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली का उत्पादन व वितरण, वातानुकूलन, आदि शामिल हैं।

(iii) "सामान्य सुविधाओं" से अभिप्रेत है औद्योगिक पार्क में स्थित सभी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं और जिनमें बिजली, सड़कें (पहुंचने के मार्ग सहित), विद्युतीकृत रेलवे लाइन तथा मेन रेलवे लाइन को जोड़ने वाली लाइनों सहित रेलवे लाइनें/साइडिंग, जल आपूर्ति और अप-जल निकासी, अपगामी जल उपचार की सामान्य व्यवस्था, सामान्य टेस्टिंग, दूरसंचार सेवाएं, वातानुकूलन, सार्वजनिक सुविधा भवन, औद्योगिक कैंटीन कन्वेन्शन/सम्मेलन भवन, पार्किंग, यात्रा (ट्रेवल) डेस्क, सुरक्षा सेवा, प्रथमोपचार केंद्र, एंबुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

(C) वर्तमान प्रविष्टि (entry) 25, 25.1 तथा 25.2 को क्रमशः 17, 17.1 तथा 17.2 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।

(D) वर्तमान प्रविष्टि सं. 17, 17.1 तथा 17.2 को क्रमशः F.1, F.1.1, F.1.1.2 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।

(E) वर्तमान प्रविष्टि सं. 18, 18.1 तथा 18.2 को क्रमशः F.2, F.2.1, F.2.2 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा

(F) वर्तमान प्रविष्टि सं. 19 तथा 19.1 को क्रमशः F.3 तथा F.3.1 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा

(G) वर्तमान प्रविष्टि सं. 20, 20.1, 20.2 तथा 20.3 को क्रमशः F.4, F.4.1, F.4.2 तथा F.4.3 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।

(H) वर्तमान प्रविष्टि सं. 21, 21.1 तथा 21.2 को क्रमशः F.5, F.5.1 तथा F.5.2 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।

(I) वर्तमान प्रविष्टि सं. 22, 22.1, 22.2 तथा 22.2.1 को क्रमशः F.6, F.6.1, F.6.2 तथा F.6.2.1 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।

(J) वर्तमान प्रविष्टि सं. 23, 23.1 तथा 23.2 को क्रमशः F.7, F.7.1 तथा F.7.2 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।

(K) वर्तमान प्रविष्टि सं. 24, 24.1 तथा 24.2 को क्रमशः F.8, F.8.1 तथा F.8.2 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।

(L) वर्तमान प्रविष्टि सं. 26, 26.1 तथा 26.2 को क्रमशः F.9, F.9.1 तथा F.9.2 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।

(M) पुनर्क्रमांकित प्रविष्टि 17 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी:

क्र. सं.	क्षेत्र/गतिविधि	ईक्रीटी/एफडीआई कैप का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
18	रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर		
	निम्नलिखित का निर्माण, परिचालन और रखरखाव (मेंटिनेंस) (i) सरकारी निजी सहभागिता के तहत सबर्बन कारिडोर प्रोजेक्ट्स, (ii) स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स, (iii) समर्पित फ्रेट लाइनें, (iv) ट्रेन सेट्स सहित रोलिंग स्टॉक एवं लोकोमोटिव्स/कोचों का निर्माण एवं रखरखाव सुविधाएं, (v) रेलवे विद्युतीकरण, (vi) सिग्नलिंग सिस्टम, (vii) मालभाड़ा (फ्रेट) टर्मिनल्स, (viii) यात्री टर्मिनल्स, (ix) विद्युतीकृत रेलवे लाइनों और मेन रेलवे लाइनों हेतु कनेक्टिविटी सहित रेलवे लाइनों/साइडिंग्स से संबंधित औद्योगिक पार्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं (x) मास रैपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम।	100%	स्वचालित
	नोट:— उल्लिखित गतिविधियां (कार्य) प्रत्यक्ष विदेशी निवेशगत निजी सहभागिता के लिए खुली हैं व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रेल मंत्रालय के सेक्टरल दिशानिर्देशों के अधीन हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश के प्रस्ताव रेल मंत्रालय द्वारा सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी के समक्ष मामले – दर - मामले के आधार पर अनुमोदनार्थ रखे जाएंगे।		

[सं. फेमा. 320/2014-आरबी/ सं.1/324/2014]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

फुट नोट:—

- (i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वप्रभावी करने के कारण किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
- (ii) मूल विनियमावली 8 मई 2000 के जीएसआर संख्या. 406(ई) के द्वारा शासकीय राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी थी:—

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001

सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001

सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001

सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002

सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002

सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003

सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003

सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003

सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003

सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003

सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004

सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004

सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010
 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012

सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
 सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
 सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
 सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
 सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
 सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
 सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th September, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fourteenth Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 800(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.20/2000-RB dated 3rd May 2000), namely:—

1. Short Title & Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fourteenth Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force from August 27, 2014@.

2. Amendment of Schedule 1.—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Schedule 1,

(A) For the existing Annexure 'A' the following shall be substituted namely:—

“Annexure A”

Sectors Prohibited for FDI

FDI is prohibited in:

- (a) *Lottery Business including Government/ private lottery, online lotteries, etc.*
- (b) *Gambling and Betting including casinos etc.*
- (c) *Chit funds*
- (d) *Nidhi company*
- (e) *Trading in Transferable Development Rights (TDRs)*
- (f) *Real Estate Business or Construction of Farm Houses*
- (g) *Manufacturing of Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes*
- (h) *Activities / sectors not open to private sector investment e.g. (I) Atomic energy and (II) Railway operations (other than permitted activities mentioned in entry 18 of Annex B).*

Note: *Foreign technology collaboration in any form including licensing for franchise, trademark, brand name, management contract is also prohibited for Lottery Business and Gambling and Betting activities."*

(B) Amendment to Annexure B

- (a) In the existing entry 12.1, for the clauses (ii) and (iii), the following shall be substituted, namely:

“(ii) *Infrastructure*” refers to facilities required for functioning of units located in the Industrial Park and includes roads (including approach roads), railway line/sidings including electrified railway lines and connectivities to the main railway line, water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air conditioning.

(iii) *“Common Facilities”* refer to the facilities available for all the units located in the industrial park, and include facilities of power, roads (including approach roads), railway line/sidings including electrified railway lines and connectivities to the main railway line, water supply and sewerage, common effluent treatment, common testing, telecom services, air conditioning, common facility buildings, industrial canteens, convention/conference halls, parking, travel desks, security service, first aid center, ambulance and other safety services, training facilities and such other facilities meant for common use of the units located in the Industrial Park.”

(C) *the existing entry 25, 25.1 and 25.2 shall be renumbered as 17, 17.1 and 17.2 respectively.*

(D) *the existing entry 17, 17.1 and 17.2 shall be renumbered as F.1, F.1.1, F.1.1.2 respectively.*

(E) *the existing entry 18, 18.1 and 18.2 shall be renumbered as F.2, F.2.1, F.2.2 respectively.*

(F) *the existing entry 19 and 19.1 shall be renumbered as F.3 and F.3.1, respectively.*

(G) *the existing entry 20, 20.1, 20.2 and 20.3 shall be renumbered as F.4, F.4.1, F.4.2 and F.4.3 respectively.*

(H) *the existing entry 21, 21.1 and 21.2 shall be renumbered as F.5, F.5.1 and F.5.2 respectively.*

(I) *the existing entry 22, 22.1, 22.2 and 22.2.1 shall be renumbered as F.6, F.6.1, F.6.2 and F.6.2.1 respectively.*

(J) *the existing entry 23, 23.1 and 23.2 shall be renumbered as F.7, F.7.1 and F.7.2 respectively.*

(K) *the existing entry 24, 24.1 and 24.2 shall be renumbered as F.8, F.8.1 and F.8.2 respectively.*

(L) *the existing entry 26, 26.1 and 26.2 shall be renumbered as F.9, F.9.1 and F.9.2 respectively.*

(M) After the renumbered entry 17, the following entry shall be added:

Sl. No.	Sector/Activity	% of Equity/ FDI Cap	Entry Route
18	Railway Infrastructure		
	Construction, operation and maintenance of the following: (i) Suburban corridor projects through PPP, (ii) speed train projects, (iii) Dedicated freight lines, (iv) Rolling stock including train sets, and locomotives/coaches manufacturing and maintenance facilities, (v) Railway Electrification, (vi) Signaling systems, (vii) Freight terminals, (viii) Passenger terminals (ix) Infrastructure in industrial park pertaining to railway line/sidings including electrified railway lines and connectivities to main railway line and (x) Mass Rapid Transport Systems.	100%	Automatic
	Note:- (i) Foreign Direct Investment in the abovementioned activities open to private participation including FDI is subject to sectoral guidelines of Ministry of Railways. (ii) Proposals involving FDI beyond 49 in sensitive areas from security point of view, will be brought by the Ministry of Railways before the Cabinet Committee on Security (CCS) for consideration on a case to case basis.		

[No. FEMA/319/2014-RB/F. No. 1/32/E4/2014]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:—

- (i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.
- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012
G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013
G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R.No. 515(E) dated 30.07.2013
G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R.No. 532(E) dated 05.08.2013
G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No. 344(E) dated 29.05.2013
G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013
G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No. 393(E) dated 21.06.2013
G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R. No. 591(E) dated 04.09.2013
G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R. No. 596(E) dated 06.09.2013
G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No. 597(E) dated 06.09.2013
G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No. 681(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No. 682(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013
G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R. No. 683(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R. No. 189(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R. No. 190(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R. No. 270(E) dated 07.04.2014
G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R. No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R.No. 370(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R. No. 371(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R. No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009	G.S.R. No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010	G.S.R. No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012	